राजस्थान
राजस्व (ग्रुप ...)

क्रमांक-प• 9(2)(राज•-6/05/13 जयपुर, दिनांक- 7.5.2005

:: अधिसूचना ::

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 10 के अधीन तथा राजस्थान भू-राजस्व (पेमेन्ट क्रेडिट, रिफण्ड एण्ड रिकवरी) नियम, 1958 के अधीन जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों तथा उसे प्रदत्त शक्तियों का क्रमश: पालना एवं प्रयोग सभी सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा उनकी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर देवस्थान विभाग के किराएदारों/काश्तकारियों व अन्य बकायादारों से समस्त शोध्य बकाया राशि वसूली के संबंध में किया जावेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

उप शासन सचिव•

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1• निजी सचिव, मा• मुख्यमंत्री महोदया/मा• राजस्व मंत्री।
2• निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3• निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिव, राजस्व
4• निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग।
5• समस्त जिला कलेक्टर।
6• निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7: अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उपरोक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 7.5.2005 में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
8• निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राज०, जयपुर।
9• राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
10• रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव•